संख्या-11/2015/15/20/95-का-4-2015

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 24 सितम्बर, 2015

विषयः-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को समय से अधियाचन प्रेषित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 30.09.1991, दिनांक 02.01.1996, दिनांक 27.05.1997, दिनांक 09.08.2007, दिनांक 29.12.2008, दिनांक 05.10.2009, दिनांक 23.11.2009, दिनांक 28.10.2010, दिनांक 03.10.2011, दिनांक 14.03.2012, दिनांक 18.09.2012, दिनांक 09.07.2013 एवं दिनांक 23.10.2013 के द्वारा आपसे यह अनुरोध किया गया है कि समय से चयन की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु, सम्पूर्ण सूचनाओं का समावेश करते हुए, संबंधित पदों के अधियाचन 03 वर्ष पूर्व लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिये जायें।

2. लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया है कि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेशों में दिये गये सुस्पष्ट प्राविधानों/निर्देशों के बावजूद विभागों द्वारा आयोग को समय से अधियाचन उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं। आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया है कि सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2016 से संबंधित मात्र पुलिस उपाधीक्षक, खण्ड विकास अधिकारी तथा सहायक श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) लेखा संवर्ग (नगर विकास अनुभाग) के अन्तर्गत लेखाधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-II (विकास), सहायक सेवायोजन अधिकारी (विशेष चयन), जिला उद्यान अधिकारी श्रेणी-II ग्रेड-I, जिला कार्यक्रम अधिकारी, वाणिज्यकर अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्यकर, सहायक आयुक्त उद्योग तथा शोध अधिकारी अनुश्रवण के पदों का अधियाचन आयोग को प्राप्त हुए हैं। अन्य किसी भी विभाग के द्वारा अभी तक लोक सेवा आयोग को अधियाचन उपलब्ध नहीं कराय गया है।

2. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आपसे निम्नवत् अनुरोध करने का मुझे पुनः निदेश हुआ है-

(1) सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2006 से संबंधित पदों के अधियाचन विलम्बतम दिनांक 25.09.2015 तक आयोग को उपलब्ध करा दिये जायें, ताकि उक्त परीक्षा का विज्ञापन दिनांक 01 जनवरी, 2016 को प्रकाशित किया जा सके। यदि उक्त परीक्षा में सम्मिलित करने हेतु पद उपलब्ध नहीं हैं, तो भी तदानुसार उक्त तिथि तक आयोग को अवगत करा दिया जाये।

(2) प्रेषित किये जाने वाले अधियाचनों में डी.एफ.एफ., भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन तथा महिलाओं के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करते हुए, शासनादेश संख्या-35/65-03-11-78/99, दिनांक 13.01.2011 के अनुसार विकलांगजन हेतु स्पष्ट चिन्हांकन तथा विकलांगता के प्रकार का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाय। उक्त के साथ संबंधित पद की सेवा नियमावली की प्रति (हिन्दी/अंग्रेजी) भी लोक सेवा आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करें।

3. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या-15/20/95(1)-का-4-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-180/2/ई-1/2015-16, दिनांक 05.08.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

रघुनाथ सिंह परिहार
संयुक्त सचिव

http://Shasanadesh.up.nic.in